



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक 1942 (श0)
(सं0 पटना 848) पटना, सोमवार, 9 नवम्बर 2020

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

9 नवम्बर 2020

सं० बी1-3-48/2020(खंड)-70—बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-434/बिहार-वि०स०/2015 (2) दिनांक 06.11.2020 की (हिन्दी एवं अंग्रेजी) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मिथिलेश कुमार साहु,

संयुक्त सचिव-सह-

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 दिनांक: 6 नवम्बर, 2020/15 कार्तिक, 1942 (शक)

सं० 434/बिहार-वि.स./2015 (2) :-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित तारीख 15 सितंबर, 2015 की, समय समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434/बिहार-वि.स./2015 (2) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में, दर्शायी गई प्रविष्टियों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रविष्टियां और जोड़ी जायेंगी :-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
216-जहानाबाद	7. कार्यपालक अभियंता अघु सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद
	8. कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य प्रमंडल, जहानाबाद
217-घोषी	8. कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक मोदनगंज (जहानाबाद)
	9. प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हुलासगंज (जहानाबाद)
218-मखदुमपुर (अ.जा.)	9. प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मखदुमपुर
	10. प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, काको

उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर, प्रभावी नहीं रहेगी।

आदेश से,
प्रमोद कुमार शर्मा,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 6th November, 2020/
15 Kartika, 1942 (SAKA)*

No. 434/BR-LA/2015 (2) :- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 22 of the Representation of the People act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby makes the following amendments in its Notification No. 434/BR-LA/2015 (2), dated 15 September, 2015, as amended from time to time, relating to appointment of Assistant Returning Officer for Assembly Constituencies in the State of Bihar namely:

In the existing entries against column 1 of the table appended to the said notification, the following entries shall be added:-

Table

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
216-Jehanabad	7. Executive Engineer, Minor Irrigation, Jehanabad
	8. Executive Engineer, Rural Woks Department, Jehanabad

217-Ghoshi	8. Junior Statistical Supevisor, Modanganj (Jehanabad)
	9. Block Welfare Officer, Hulasganj (Jehanabad)
218- Makhdumpur (SC)	9. Block Panchayat Raj Officer, Makhdumpur
	10. Block Statistical Officer, Kako

The appointment of above officers as Assistant returning Officers in their respective constituency will cease to be effective on successful completion of counting of votes in the constituency concerned.

By order,
PARMOD KUMAR SHARMA,
SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 848-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>